# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

| मि0नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
| --- | --- | --- |
| 140 / 2021 | 12.10.2021 | 27.01.2023 |

पीठासीन अधिकारी–हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हेमराज आत्मज लटूरलाल उर्फ सूरजमल जाति मेघवाल निवासी ग्राम चांवडहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

( प्रार्थी )

वनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

( अप्रार्थी )

प्रार्थी की ओर से – श्री एल0के0 एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – श्री तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय

प्रार्थी की ओर से निम्न आधारों पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता सूरजमल उर्फ लटूरलाल आत्मज रेत्या के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम चांवडहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 121 रकवा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 122 रकवा 0.62 हेक्टर , खसरा नम्बर 145 रकवा 1.73 हेक्टर , कुल 3 किता की रकवा 2.97 हेक्टर आराजी स्थित है।

यह कि प्रार्थी के पिता लटूरलाल उर्फ सूरजमल जी का 4–5 माह पूर्व स्वर्गवास हो गया है जिनका प्रार्थी एक मात्र पुत्र है।

उक्त भूमि को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि प्रार्थी के पिता का नाम वणित आराजी में सूरजमल उर्फ लटूरलाल के स्थान पर सूरजमल उर्फ रामलटूर दर्ज कर रखा है जबकि प्रार्थी के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात में सूरजमल उर्फ लटूरलाल दर्ज है। इस कारण वर्णित आराजी में भी प्रार्थी के पिता का नाम सूरजमल उर्फ रामलटूर के स्थान पर सूरजमल उर्फ लटूरलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त त्रुटि पूर्ण नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी के पिता का फोती इंतकाल तस्दीक नहीं हो रहा है, जिसके कारण प्रार्थी को सरकार सहायता आदि अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

यह कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम लटूरलाल है। जो कि आधार कार्ड, पेन कार्ड, व परिवार राशन कार्ड, फोटो पहचान कार्ड , बैंक डायरी व अन्य दस्तावेज में लटूरलाल के नाम दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में रामलटूर नाम दर्ज है।

यह कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बोलता नाम दर्ज हो गया। जिससे प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में सूरजमल उर्फ रामलटूर दर्ज चला आ रहा है प्रार्थी के पिता का अन्य दस्तावेजों में लटूरलाल होने से प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियां हो रही है। इसलिए प्रार्थी का पिता का नाम सूरजमल उर्फ रामलटूर

के स्थान पर लटूरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए प्रार्थी के पिता का नाम शुद्व किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा जारी की जावेः–

1– कि प्रार्थी के पिता सूरजमल उर्फ लटूरलाल आत्मज रेत्या ग्राम चांवडहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 121 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.62 हेक्टर , खसरा नम्बर 145 रकबा 1.73 हेक्टर , कुल 3 किता की रकबा 2.97 हेक्टर भूमि स्थित हैं।

प्रार्थी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1– नकल जमावन्दी ग्राम चांवडहेडी की सम्वत 2076–2079 खाता सं0 65
2– आधार कार्ड की छाया प्रति
3– पेन कार्ड की छायाप्रति
4– मतदाता फोटो पहचान पत्र
5– शपथ पत्र हेमराज

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी विधिवत करवायी गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दीगोद मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के साथ जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में सूरजमल उर्फ रामलटूर व लटूरलाल एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया गया है एवं प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गयी है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, जवाब सरकार, राजस्व रिकार्ड के गहन अवलोकन करने पर प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। समस्त दस्तावेजात से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चांवडहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 121 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.62 हेक्टर , खसरा नम्बर 145 रकबा 1.73 हेक्टर , कुल 3 किता की रकबा 2.97 हेक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम सूरजमल उर्फ रामलटूर के स्थान पर लटूरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद